राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,राज0जयपुर

क्रमांकः– ई–12/एम/नियु0/2017/481 दिनांक 19/06/2017

आदेश

निदेशालय द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित आश्रितों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पद पर उनके नाम के सम्मुख पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों के अधीन रिक्त पद पर किया जाता है । परिवीक्षा की कालावधि के दौरान निम्न आश्रितों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांकःएफ.11(7)/एफडी/रूल्स /08 दिनांक 12.9.08 एंव एफ.14(1) एफ.डी./रूल्स/ 2013–1 दिनांक 28.6.2013 एफ.14(1)एफ.डी./रूल्स/2013 पी.टी जयपुर दिनांक 8.6.2015 राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) नियम 2008 के शिड्यूल–4 (नियम 21) के द्वारा नियत 6670/– रूपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड बॉय/स्वीपर** के पद का नियमित पे बैण्ड **5200–20200 में ग्रेड पे 1700** अनुज्ञात किया जावेगा :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदक की जन्मतिथि	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	आवेदक की नियुक्ति का पदनाम	पदस्थापन स्थान	संब.अधि. द्वारा नियु. हेतु दीं गई अभिशंषा का क्रमांक दि0
1	श्री लोकेश्वर सोनगरा पुत्र स्व0 श्री टीकमचन्द, वार्ड बॉय, निवासी– बस स्टेण्ड के पास, मुकाम पोस्ट– नरवर, वाया– कुचील, जिला– अजमेर ।	15.8.1988	कक्षा–8 उत्तीर्ण	च0श्रे0कर्म0	मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के अधीन	944 दिनांक 07.02.2017
2	श्री पुष्कर लाल पुत्र स्व0 श्री पन्नालाल, वार्ड बॉय निवासी– हमेरपाल खोरवडी, तहसील– केलवाडा, जिला– राजसमन्द	09.07.1990	कक्षा–6 उत्तीर्ण	च0श्रे0कर्म0	मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द के अधीन	1091 दिनांक 19.4..2017
3	श्री भूवनेश्वर शर्मा पुत्र स्व0 श्री गौरीशंकर शर्मा, चश्रै.कर्म. निवासी– शिवाजी संस्थान धनवन्तरी नगर, वार्ड नं. 3, रतनगढ, चूरू ।	17.05.1987	कक्षा–8 उत्तीर्ण	च0श्रे0कर्म0	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ, जिला चूरू के अधीन	1254 दिनांक 01.04.2017
4	श्रीमति चन्द्रा पत्नि स्व0 श्री खेताराम, स्वीपर, निवासी– राजकीय आवास, राजकीय जिला चिकितसालय, महिला बाग, जोधपुर	20.03.1971	साक्षर	स्वीपर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महिला बाग, जोधपुर के अधीन	1407–08 दिनांक 27.03.2017
5	श्री गोपाल वाल्मिकी पुत्र स्व0 श्री प्रकाश चन्द, स्वीपर, निवासी– काशी का बास, तहसील– धोद, जिला–सीकर	03.02.1989	कक्षा–8 अनुत्तीर्ण	स्वीपर	मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर के अधीन	1268 दिनांक 23.12.2017

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत **उक्त आवेदकों** को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

mail ID add4ng@gmail.com, 0141-2222683

उक्त आवेदको का नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायें । परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान च0श्रे0 कर्मचारी सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो इनके कोई रिश्तेदार **न हो । इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि,शैक्षणिक सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगें। जिसकी जांच एवं संतुष्टि के उपरान्त** ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्त्तव्य पर लेंगे।

राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.1.04 एवं समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 27.3.04 के अन्तर्गत **उक्त आवेदको** पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क–2/88 दिनांक 27.2.2001 के अन्तर्गत **उक्त आवेदक** अपने पारिवारिक सदस्यो का उचित तौर पर भरण पोषण करेंगे । नियुक्ति के तत्पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत **उक्त आवेदको** के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

उक्त आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के क्रम में संबंधित मु.चि.एंव स्वा.अधि./प्रमुख चिकि. अधि./निदेशक,आर.आर.सी./आवेदक द्वारा उपलबध करवाई गई सूचना में गलत तथ्य या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदन की सीमा तक प्रारम्भ से ही शुन्य होगा ।

आश्रितो को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से **एक माह** की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे । इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा ।

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ.1(2)एफडी/नियम/06 दिनांक 13.3.06, कमांक एफ.16(2)एफडी/नियम/98 दिनांक 13.3.06 कमांक एफ012(6) एफडी/नियम/05 दिनांक 13.3.06 एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र कमांक प0(1)कार्मिक/(क–2)/2016 दिनांक 15.07.16 के प्रावधानों से शासित होगी ।

Sd

(राकेश शर्मा)
अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः– ई–12/एम/नियु0/2017/481
दिनांक 19/06/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निजी सचिव, मा0 चिकित्सा एंव स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री, राज0 जयपुर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर ।
3– सुयक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
4– संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर ।
5– वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय ।
6– संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोन.............. ।
7– संबंधित अधीक्षक, चिकित्सालय................ /मुख्य चिंकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी............ ....को भेजकर लेख है कि **आवेदक** का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण करायें। नोटः–सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे है (रजिस्ट्रर्ड पत्र) ।
8– प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे ।
9– प्रभारी, सामान्य अनुभाग, मुख्यालय ।
10– **संबंधित आश्रित श्री................................**
11– आदेश/निजी पत्रावली।

अति0 निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

mail ID add4ng@gmail.com, 0141-2222683